2/6/23

पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली दिनांक 30/9/2022 से कायम मुकाम हेतु लम्बित है। दिनांक 13/1/2023 को अन्तिम अवसर दिया गया परन्तु अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कायम मुकाम हेतु कार्यवाई शुरु नहीं की गई इससे प्रतीत होता है कि अपीलांट की कायम मुकाम की कार्यवाई में विशेष रुचि नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के वारिसानों के सम्बन्ध में कायम मुकाम की कार्यवाई नहीं प्रस्तुत करने के कोई ठोस कारण भी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में Respodent No. 1 के वारिसानों के विरुद्ध यह अपील खारिज की जाती है चूंकि Res. No 1 अपीलांट सं 1 का भाई था। अत: वादग्रस्त आराजीयात की अपील में महत्वपूर्ण Respodant था. इसकी मृत्यु पर इनके वारिसानों को Respodant संयोजित किया जाना अति आवश्यक है। नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरुप इन्हें सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है परन्तु अपीलांट द्वारा नियत समयावधि में Res. No 1 के वारिसानों को Respodant संयोजित करने की कार्यवाई प्रस्तुत नहीं करने से इनके विरुद्ध अपील खारिज हो चुकी है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली में आगे की कार्यवाही न्याय संगत नहीं होगी व Res. No. 1 के वारिसानों के अभाव में, व इन्हें बिना सुने अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता है। अपील इस निर्णय से सारहीन हो चुकी है अतः इसी स्तर पर अपील निरस्त करने का निर्णय लिया गया। चूंकि पत्रावली में आवाज लगाने पर भी उभयपक्ष अधिवक्ता व पक्षकार अनुपस्थित रहे अतः हिदायत पैरवी का भी अभाव पाया गया। अतः उक्त समस्त कारणों से पत्रावली निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] 2/06/2023 राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़